न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.15 / रेगूलर / 2025 (GCMS No. 2025 / 92)	14.07.2025	23.09.2025

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी,
हिण्डोली, जिला बून्दी

– प्रार्थी

बनाम

मनोज कुमावत पुत्र मूलचन्द,
मैसर्स बाटी दा ढाबा, पेट्रोल पम्प के पास, नेशनल हाईवे–52,
ग्राम सथूर, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6--ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद विभाग)।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–''ए'' आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन अधिकारी, हिण्डोली द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करने से जप्त शुदा गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर पंजिका क्रमांक 15 / 2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2025 / 92 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी के इस न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से दिनांक 15.09.2025 को उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। ।

बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी । कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 07.03.2025 को प्रवर्तन अधिकारी हिण्डोली द्वारा मैसर्स बाटी दा ढाबा, पेट्रोल पम्प के पास, नेशनल हाईवे–52, सथूर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण राजू गुर्जर पुत्र छीतरलाल गुर्जर प्रतिष्ठान पर उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान मैसर्स बाटी दा ढाबा, सथूर पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। मौके पर उपस्थित राजू गुर्जर से व्यावसायिक गतिविधियों में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किये जाने के संबंध मे संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। वक्त जांच अप्रार्थी के पास घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग करने का कोई वैध लाइसेन्स होना नहीं मिला तथा उक्त घरेलू एलपीजी सिलेण्डर को कब्जे में रखे जाने के कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिले। अतः गैस सिलेण्डरों के अवैध भंडारण का कोई ठोस कारण नहीं देने के कारण उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस (1 सिलेण्डर एचपीसीएल एवं 1 सिलेण्डर इण्डेन कंपनी के) को जब्त किया गया। मौके पर फर्द अधिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार कर उक्त जप्त गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से एचपी गैस सर्विस, सथूर के प्रतिनिधि सियाराम गुर्जर पुत्र किशनलाल गुर्जर की सिपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण और विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा दोनों घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया, जिससे प्रकट है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग की दृष्टि से भण्डारण किया गया है, इस तथ्य की पुष्टि फर्द जप्ति व फर्द सिपुर्दगी की मौका जांच से होती है जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण करना नियम विरूद्व है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 4 का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नांकित गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं–

क्र.सं.	एसआर नम्बर	कम्पनी का नाम	शुद्ध वजन गैस कि.ग्रा.
1	436242	HPCL	6.00 कि.ग्रा.
2	866426	INDANE	0.00 कि.ग्रा.
		कुल गैस वजन	6.00 कि.ग्रा.

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

साथ ही जिला रसद अधिकारी बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त राजसात किये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस के वापस कम्पनी को लौटाये जाने बाबत नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्तानुसार पालना अविलम्ब की जाकर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी